

बउनवानी

रेशन

राजेश्वर

किरम प्रकरण-मुन्तकिली प्रा.पत्र

प्रकरण संख्या

56 / 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	प./मा. अहकाम की सूचना की प्रतिलिपि में जारी हुआ
23/7/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित । बाद मुलाहिजा रीडर रिपोर्ट पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। अप्रार्थी की तलवी के अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से टिप्पणी तलब की जाकर पत्रावली दिनांक 28/8/18 को पेश हो	
28/8/18	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपप/ क्रायडिग की तलवी हेतु जारी नोटिस बाद तामील कथवा डाटम तामील प्राप्त नहीं हुई है वान्ते इन्तजाए प्राप्ति तामील नोटिस पत्रावली दिनांक 19/9/18 को पेश हो	
10/9/18	अपार्थी सं प की कोर ते अ/ जो पि 9 प्रार 23 प्र। 56. वकालत नामा पेश किया वकील..... पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी पदो..... प्रिण्ट कथन सपरत हे अतः प्रमाणों के आधिकारानुसार दिनांक ..24/9/18..... को पेश हो	
8/10/18	वकील समय पक्ष उपप/ अमीलान्त उपप/ अमीलान्तिक कर्मधारियों को पत्रावली अथवा/ क्रायडिग पर पर दिनांक 24/9/18 को पेशने के कारण पत्रावली आज पेश हुयी। पत्रावली वापसवानुसार दिनांक 15/10/18 को पेश हो।	
रीडर		
15/10/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उपप पक्ष उपप/ वकील क्रायडिग द्वारा कथन किया कि यह स्थानान्तरण प्रार्षण जिल पीठासीन अधिकारी के प्रिण्ट प्रालुत किया गया है उस पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण कथन के जाने के कारण प्रार्थी की मोर से प्रालुत यह प्रार्षण सारहीन हो जाने के कारण स्वारिज किया जावे। वकील क्रायडिग के कथन से हम सहमत है। क्रायडिग की मोर से प्रालुत मुन्तकिली प्रार्षण सारहीन हो जाने के कारण स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फ्रैलल सुमाट हेतु नोटिस से कम हो एव बाद तकमील दाखिल कथिलेख से जावे। आरना लुनापी जपी	
जिजा कलेक्टर सवाई माधोपुर		